



टी बोर्ड भारत

14, बी.टी.एम. सरणी (ब्रेबोर्न रोड) कोलकाता-700001
14 B. T. M. Sarani (Brabourne Road), Kolkata 700001
www.teaboard.gov.in

फाइल सं. एलसी-ईनीलामी0टीएनडीआर(जेआरएसए)/2025-अनुज्ञापन-भाग(1)/

दिनांक 26..03.2026

परिपत्र

विषय: 1 अप्रैल 2026 से जोरहट नीलामी (जोरहाट ई-मार्केटप्लेस) को बंद करना

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि टी बोर्ड ने हाल ही में अखिल भारतीय स्तर पर निर्माण, स्वामित्व एवं संचालन(बीओओ) नमूना के आधार पर, एकीकृत ई-कॉमर्स संचालन सहित एक वेब-आधारित चाय नीलामी मंच की स्थापना और संचालन के लिए आरएफपी जारी करके प्रक्रिया शुरू की है।

इस संदर्भ में, जोरहट में एक अलग नीलामी मॉडल को जारी रखना अब विशेष रूप से एकरूपता सुनिश्चित करने, व्यापार करने में सुगमता लाने और विनियामक निगरानी को युक्तिसंगत बनाने के दृष्टिकोण से व्यावहारिक नहीं माना जाता है।

तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2026 से जोरहट नीलामी (जोरहाट ई-मार्केटप्लेस) का संचालन बंद कर दिया जाएगा। उक्त तिथि से मौजूदा जोरहट नीलामी/जोरहाट ई-मार्केटप्लेस के तहत कोई भी नई बिक्री नहीं की जाएगी।

सभी संबंधित विक्रेताओं और खरीदारों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि जोरहट नीलामी मंच की अनुपस्थिति में, वे चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 2003 के प्रावधानों के अनुसार, चाय की बिक्री और खरीद के लिए मौजूदा अखिल भारतीय नीलामी प्रणाली में भाग ले सकते हैं।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

समरेश मंडल

(समरेश मंडल)

अनुज्ञापन नियंत्रक (प्रभारी)

वितरण:

1.	सभी चाय उत्पादक संघ	उनके सदस्यों के बीच सूचनार्थ एवं परिसंचरण हेतु
2.	सभी क्रेता संघ	
3.	सभी चाय निर्यातक संघ	
4.	कार्यकारी निदेशक, कून्नूर एवं गुवाहाटी	कृपया सूचनार्थ
5.	प्रणाली विश्लेषक	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु